5911 Re: Calling AGRAHAYANA 30, 1886 (SAKA) Suspension of 5912
Attention Notice Member

move as much of coarse grains as possible from Madhya Pradesh and Rajasthan.

Shri Ranga (Chittoor): Sir, his question was different. He wanted to know how much has been asked by the Government of Gujarat and how much has been supplied by the Union Government

Shri C. Subramaniam: I gave the figures. As far as wheat is concerned 40,000 tons was the original allotment. 10,000 tons more have been given and another 5000 tons I allotted yesterday. Therefore, it comes to 55,000 tons.

Mr. Speaker: How much has been asked by that Government?

Shri C. Subramaniam: The Gujarat Government do not want more of wheat and rice. They want coarse grains. There is no quantity indicated, because however much is available they are prepared to take up.

श्री बागड़ी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय से कहा जाये कि जो प्रश्न किया जाये उसका वह पूरा उत्तर दें। जब पूरा उत्तर नहीं दिया जाता है तो श्राप को हमारी हिफाजत करनी चाहिये श्रीर श्राप ही कर सकते हैं। श्रभी एक माननीय सदस्य ने पूछा कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने श्रश्न की मांग की थी श्रीर केन्द्रीय सरकार ने किस हद तक उसकी पूर्ति की है, उसका जवाब श्रभी तक नहीं श्राया है। कम है, ज्यादा है, इस तरह का श्रगर श्रनिध्चित जवाब दे दिया जाता है तो उससे कठिनाई पैदा होती है। बहुत श्रहम प्रश्न किया गया था लेकन उसका . . .

श्रष्यक्ष महोदय : जो जवाव नहीं दिया गया था, वह मैंने पूछ लिया है ।

12.25 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

Shri Dinen Bhattacharya (Seram-1959(Ai) LSD-4.

pore): Sir, I have got a submission. Last Friday I gave a Calling Attention Notice.

Mr. Speaker: Order, order; I ame not going to answer that now.

Shri Dinen Bhattacharya: My submission is this. I want to know what problems or what issues are of national importance or of urgent importance. The train service was dislocated for nine hours at Howrah. But my Calling Attention Notice has not been admitted.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member may resume his seat. I cannot allow a discussion in that manner.

Shri Dinen Bhattacharya: I am not entering into any discussion. I am only pointing that there is a lock-out and 10.000 workers are out of employment.

Mr. Speaker: Order, order. Will the leader of his Group ask him to resume his seat?

An Hon, Member: There is no leader.

Shri Dinen Bhattacharya: There is strike at TELCO. Two groups of the INTUC are quarrelling and the workers are suffering.

Mr. Speaker: If he is not prepared to resume his seat.....

Shri Dinen Bhattacharya: I always obey you, Sir.

Mr. Speaker: Then he should resume his seat and not behave in that manner. That is very objectionable.

12.26 hrs.

SUSPENSION OF MEMBER (Dr. Ram Manohar Lohia)

डा॰ राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, . . .

प्रध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया: मैं तब मजबूर हो जाता हूं सब नियमों को देखते हुए यह कहर्ने [डा॰ राम मनोहर लोहिया] के लिए कि इस सदन की कारवाई गैर कानूनी होगी।

उसके ग्रलावा कोई भी बहस मतलब नहीं रखेगी जब तक कि प्रधान मंत्री के दो जीभ वाले ग्रीर दो माथे वाले प्रस्ताव पर यहां बहस नहीं हो जाती। इसलिए मैं ग्राप से ग्रजं करूंगा कि वह प्रस्ताव ग्राये।

उसके ग्रलावा ग्राप जानते हैं कि संसद् कार्य मंत्री का

प्रध्यक्ष महोवय : डाक्टर साहब देखिये, नियमों के वाहर मैं ग्राप को भी नहीं जाने दे सकता हूं। यह ग्राप का हक नहीं है कि जब कभी ग्राप चाहें ग्रीर जैसे ग्राप चाहें ग्राप खड़े हो जायें ग्रीर किसी भी सवाल को उठा ले। यह उचित नहीं है। ग्राप मुझे सुबह ग्राप लिख देते तो मैं देख लेता कि इजाजत दूंया न दूं। दो साहब ग्राप की पार्टी के गये थे, उन्होंने मुझ से बातचीत की थी . . .

एक माननीय सदस्य : कोई बातचीत नहीं हुई ।

श्रध्यक्ष सहोदय : मुझे पता नहीं । पार्टी के न होंगे । लेकिन उन्होंने श्राप का काज मेरे सामने प्लीड किया था । पार्टी है या नहीं . . . (इंटरप्त्रांज)

डा॰ राम मनोहर लोहिया : मैं चाहता हूं कि उधर से भी लोग जाते . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : इस तरह से सवाल उठाये नहीं जा सकते हैं। श्री दीनेन भट्टाचार्य अभी जब बोल रहे थे तो मैं ने उनको भी टोक दिया था और उनको भी बन्द कर दिया था । ग्राप को किस तरह से मैं इजाजत दे सकता हूं कि ग्राप इस तरह से कोई मामला उठा लें । यह मामला इस तरह से नहीं उठाया जा सकता है ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : इस वक्त यह कार्रवाई बिल्कुल गैर-कानूनी होगी । प्रध्यक्ष महोदय: मैं कहूंगा कि आप गैर-काननी काम कर रहे हैं और नियमों के उलट कर रहे हैं। आप इस वक्त इस को नहीं उठा सकते हैं।

डा॰ राम मनोहर लोहिया: यह ग्राप की राय है, मेरी राय है या सदन की राय है ?

श्रम्थक महोदय : बहुत मिश्कल यह है कि मेरी जो राय है वही यहां ठीक समझी जानी है । श्राप मान लीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बहुत दफा झुका हूं लेकिन जो गैर-कानूनी कार्रवाई इस ढंग की हो रही है, मैं इस में ग्रागे,साझेदारी नहीं कर सकता हूं।

श्रम्यक्ष महोवय: श्राप कहें कि श्राप झकने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तो बहुत मुश्किल बात हो जायेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ग्राप को दलील

ग्रध्यक्ष महोदयः इस तरह से ग्राप नहीं बोलते जा सकते हैं।

डा॰ राम मनोहर लोहियाः संसद्-कार्य मंत्री ने इस सदन में . . .

ग्रध्यक्ष महोदयः इस तरह से नहीं उठा सकते हैं ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : तो मैं श्रौर भी कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत काबिले एतराज बात है कि ग्राप कहें कि ग्राप कार्रवाई नहीं होने देंगे ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : ग्राप चाहते हैं कि मैं ग्रपनी ग्रावाज न उठाऊं इसलिए कि

प्रध्यक्ष महोदयः ग्रगर ग्राप एलानिया, डेलीक्रेटली, जानबूझकर ग्रौर मन बना कर

5916

कहते हैं कि मैं हाउस की कार्रवाई नहीं होने देता तो यह कभी बरदाश्त नहीं हो सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया: बरदाश्त न करिये। ऐसी भाषा मैं भी बरदाश्त करना नहीं चाहता ।

श्री मध् लिमये (मंगेर): ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं...

म्राध्यक्ष महोदये : उन से मुझे बात कर लेने दीजिये । उनका इरादा जान लेने दीजिये । स्राप कार्रवाई चलने देंगे या नहीं?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी नहीं । जब तक ग्राप कानून के मुताबिक कर्रवाई नहीं करते ।

म्राच्यक्ष महोदय : ग्राप को इजाजत मैं नहीं देता हूं। ग्राप क्या करना चाहते हैं?

श्री मध् लिमये : मैं एक मिनट में ग्रपनी वात खत्म कर दंगा । मैं ग्राप का ध्यान 4 तारीख की कार्रवाई की ग्रोर खींचना चाहता हं

म्रध्यक्ष महोदय : इस बहस पर हम नहीं जा रहे हैं। स्राप बैठ जाइये।

श्री मधु लिमये : ग्राप जरा सुन तो लीजिये। ससद्-कार्यमंत्री ने क्या कहा था। एक मिनट दे दीजिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय: उमी पर तो एतराज कर रहा हूं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी)ः मुन तो लीजिये।

श्रो मधु लिमये ः एक मिनट सुन लीजिये।

ग्रम्थक महोदय : इस तरह से नहीं हो सकता है।

श्री मधु लिमये : इस सदन में ग्राप उस पर विचार करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। एक मिनट मृन लीजिये।

ः ऐसा नहीं होगा। म्रध्यक्ष महोदय श्राप बैठ जायें।

श्री मधु लिमये : मैं बैठ जाता हूं। लेकिन चार तारीख की कार्रवाई की ग्रोर मैं ग्राप का ध्यान खींचना चाहता हूं। संसद्-कार्य मंत्री ने ग्रपना वचन तोड़ कर इस सदन का ग्रौर ग्राप का ग्रपमान किया है, उसकी ग्रोर मैं **ग्राप का ध्यान दिलाना चाहता ह**ं. .

ग्रध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब मेरी इजाजत के बगैर, मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी करके बाधा डाल रहे हैं ग्रौर सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देरहे हैं . . .

श्री मधु लिमये : मैं सवाल उठाना चाहता हुं कि सदन का अपमान और श्राप का श्रपमान हुम्राहै . . .

ग्रध्यक्ष महोदयः मैं ग्राप का नाम पुकार कर कहता हूं। ग्राप कार्रवाई चलने देंगे या नहीं देंगे? ग्राप को इजाजत नहीं दे सकता हूं (**इंटरप्तांज**) सलाह कर लो जिस ने करनी है।

श्री राम सेवक यादव : ग्रध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही नाजायज है।

डा० राम मनोहर लोहिया: मैं उन को रोक रहा हं।

श्रध्यक्ष महोदयः यही मैं कर रहा हूं।

डा० साहब क्या इरादा है, क्या काम चलने देंगे या नहीं चलने देंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया: ग्राप का क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय: मेरा इरादा है कि काम नियमों के अनुसार चले ग्रीर मैं चलाना चाहता हुं ग्रगर ग्राप मझे चलाने दें तो। इस तरह से खड़े हो कर कोई मामला नहीं उठाया जा सकता है । वस तरह से छाए दखल नहीं दे सकते हैं :

श्री बागड़ो (हिसार) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रध्यक्ष महोदयः ग्राप बैठ जाइये । व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । पहले उन से बात कर लेने दीजिये । जब मैं खड़ा हूं तो ग्राप नहीं बोल सकते हैं ।

श्री बागड़ी: मैं श्राप की बात पर व्यवस्था उठाना चाहता हूं। श्राप उसका जवाब दें।

श्र**ध्यक्ष महोदयः** पहले मुझे बात कर लेने दीजिये, श्राप बैंठ जाइये।

श्री बागड़ी: मैं उसी वात पर व्यवस्था का प्रक्त उठाना चाहता हूं जो ग्राप की ग्रीर डा॰ लोहिया की है।

ग्रध्यक्ष महोदय: मैं मेबर साहबान से ग्रीर सारे हाउस से कहूंगा कि ग्राया इस तरह से कार्रवाई चल सकती है ग्रीर क्या मैं उसे चला सकता हूं। ग्रगर इस तरह से रुकावट डाली जायेगी तो हाउस का कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता। क्या यह डिमाकेसी हैं उनके मन में है कि रुकावट डाली जाये ग्रीर कार्रवाई न चलने दी जाये, तो मैं इस की इजाजत नहीं दे सकता। डाक्टर साहब, क्या जो कार्रवाई मेरे सामने है में उस को चलाऊं, या ग्राप उस में रुकावट डालते हैं।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके शब्द तो स्वीकारता नहीं । मैं समझता हूं कि अच्छी कार्रवाई में रुकावट दूसरी तरफ से आ रही है । मैं तो सदन की कार्रवाई को अच्छी तरह से चलाना चाहता हूं । मैं पिछले महीने से कोशिश कर रहा हूं, आप ने भी वचन दिया था, संसद् कार्य मंत्री ने भी वचन दिया था । प्रधान मंत्री के बारे में बात उठी थी । उस के ऊपर बहस होनी थी । सारी बातें हो चुकी हैं । उस के बाद भी जब मुझे मजबूर किया जा रहा है कि इन सारे वचनों को भंग किया जाये, तो मेरे सामने और सुरत ही क्या रह जाती है ।

म्रध्यक्ष महोदयः तो फिर क्या म्राप रुकावट जालेंगे ।

इतः राम मनोहर लोहियाः मैं इसे स्कावट डालना नहीं मानता ।

श्रध्यक्ष महोदय : ग्राप न मानें लेकिन . . .

डा॰ राम महोहर लोहिया : ब्राप उसे चाहे जो समझें । लेकिन मैं ब्राप से यह कहे देता हूं कि इस के बाद की कार्रवाई में साझेदारी करना मेरे लिये नामुमिकिन हैं जब तक कि ब्राप यहां पर दिये गये वचनों का पालन नहीं करवाते । इसके ब्रलावा कोई भी बहस यहां बिल्कुल फिजूल हो जायेगी ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं दलीलों में नहीं जाना चाहता, ग्राप ने कहा कि ग्राप इस कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहते ।

डा॰ राम मनोहर लोहियाः ग्राप की इच्छा है ग्रगर ग्राप इतना भी नहीं मुनना चाहते।

श्री राम सेवक यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Sir. may I say a word? How the proceedings of this House ought to be conducted and what consequences should follow if the proceedings are not permitted to be conducted in that manner are matters for you to decide. when, as has apparently happened here, an attack is mounted against you Sir, personally, it is an attack on the Chair, it is an attack on the dignity of the whole House which could not be condoned. It is an attack on our own dignity and it is an attack on the dignity of the whole nation. So, we object to it very strongly.

श्री मघु लिमये : श्रध्यक्ष महोदय, मेर. यह निवेदन है कि ग्राप का श्रपमान संसद्-कार्य . मंत्री ने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया है, श्रध्यक्ष महोदय : श्रव आप बैठ जाड्ये । डाक्टर साहब, मैं अप से विनय करता हूं कि या तो श्राप कार्रवाई में दक्ष्मा न डालें या फिर आप हाउस से बाहर चले जायें ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया: मैं ग्राप से बहुत विनय के साथ ग्रर्ज करता हूं कि ग्रपने पैरों के बल में यहां से नहीं जाऊंगा । जब इतनी गैर-कानूनी कार्रवाई हुई हो, तब मुझे भी ग्राप को जबर्दस्ती निकालना पडेगा ।

श्रध्यक्ष महोदय: सिवा इस के मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता । जितना लैटि-ट्यड मैं दे सकता था दिया, जितनी पेशेन्स एक्ससईइज कर सकता था की । प्रव उस की हद्द हो गई। इस वास्ते मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवा इस के कि उन से बाहर जाने के लिए कहूं, और वह कहते हैं कि वह नहीं जायेंगे। यह मेरे प्रार्डमं की खिलाफवर्जी है, यह माननीय सदस्य मेरे ग्रार्डमं को प्लाउट कर रहे हैं। उन्होंने जान बूझ कर कह भी दिया कि वह इस सदन की कार्यवाई नहीं चलने देंगे। ग्रब यह किसी मेम्बर के लिय भीर हाउस के लिये हैं कि वहां पर क्या तजवीज पेश करता है।

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamud): I beg to move:

"That Dr. Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Who is he to move this motion?

Mr. Speaker: That is for him to decide. I have to put it to the vote of the House.

Some hon. Members rose-

Mr. Speaker: There cannot be any discussion.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I have a submission to make.

Mr. Speaker: Order, order. I have said that there cannot be any discussion.

डा॰ राम मनोहर सोहिया : प्रस्ताव प मुझे भी बोलने का मौका दीजिये । मैं भी उस पर बोलना चाहता हूं ।

भी राम सेवक यादव : इस प्रस्ताव पर मैं भी कुछ कहना चाहता हुं।

श्रम्थक्त महोदय : श्रव इस पर हिन्कशन की इजाजत नहीं दी जा सकती और न यहा पर डिस्कशन हो सकता है । मोशन यहां पर श्राया है श्रीर उसे मृझ को हाउस के सामने रखना होगा ।

श्री हुकम चन्द कछुवाय (देवास):

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है,
मैं उस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।
माननीय सदस्य ने यहां पर मोशन रखा है
कि इस अधिवेशन के बाकी समय के लिये
डा० राम मनोहर लोहिया को निकाल दिया
जाये। मैं इस का विरोध करता हूं। मैं
आप से केवल यह निवेदन करना चाहता हू
कि आप ने जो निर्णय दिया है कि आज तक के
लिये उन को निलम्बित किया जाये, यह
पर्याप्त है।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं कि उन्होंने यह कहा कि वह बाहर नहीं जायेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

Shri S. M. Banerjee: I am not concerned with the motion that has been moved by Shri V. C. Shukla or the stand that you are going to take on that. I am not concerned with it, I only plead with you that of late, as the House very well knows, Dr. Lohia has been raising this issue from time to time. Is the Minister of Parliamentary Affairs prepared to have a discussion or not is the crux of the problem. You may send Dr. Lohia out of the House for the remaining period.... (Interruptions).

Mr. Speaker: Order, order. Now the motion before the House is....

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जब ग्राप मुझे निकाल रहे हैं तो मुझे यह कहना है कि मुझे इस पर बोलने का हक तो दिया जाये।

Shri Nath Pai (Rajapur): May I have a word before you proceed with the motion moved against Dr. Lohia. There is not the slightest doubt that the House patiently waited for this discussion and yet the Minister of Parliamentary Affairs was remiss.... (Interruptions). Only one sentence. He gave some assurances. The first assurance was that since the motion was admitted by you, he would take it up after the Prime Minister's return and, the second one, that he would place it before the Business Advisory Committee. I am sorry to say that the Minister did not carry out either of these two promises. I know that today he is confined to bed with flu, but he must know the sense of the House. I do not agree with Dr. Lohia when he says that he must obstruct your work or challenge your authority. At the same time, the issues must be known to all. course, no hon. Member should challenge the authority of the Chair.

Shri Vidya Charan Shukla: That is the only question.

Shri Nath Pai: That is not the only question.

जरा मेरी बात सुनो, मुझे डराग्रो मत । मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम इस में तो शरीक नहीं होंगे कि ग्राप की बात कोई न माने । लेकिन इस के साथ साथ में हमें यह भी जानना चाहिये कि कई दिनों से यह कोशिश जारी है कि यहां से सम्मति दी जाये। उन का जो प्रस्ताव है . . .

Mr. Speaker: It is a serious matter.

Shri Nath Pai: While I do not agree with the hon. Dr. Lohia in his obstruc tionist policy, I would yet plead with the House that we should be given an opportunity to have a discussion on that motion.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta-Central): It has put us in a very emparrassing position by the turn of events. It has taken this turn perhaps because this House does seem to be without anybody who can be given the designation of being the Acting Leader of the House. You, Sir, continued to have your conversation with the hon. Members over there and it went on perhaps because you considered that there might conceivably have been some substance in the complaint which has accumulated in his mind, and that is why you went on arguing with them, while when perhaps some other member like Shri Dinen Bhattacharyya, for instance, raised point you took short shrift. In this case, you gave him a lot of rope because there must have been substance in what he was trying to put forward. I could not quite follow the proceedings but I could guess you were having that kind of tussle with the hon. Member, who is so formidable. But there is a Government here, there is a Leader of the House, there must be an Acting Leader of the House; the Government says nothing and a very ordinary member of the Government party says something to the effect that he must be suspended for (Iterruptions).

भी हकम चन्द कछवाय : जब सन 65 के बाद भ्रंग्रेजी को सहभाषा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हम्रा था तब श्री बागडी के सम्बन्ध में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया था श्रीर तब भी इन्हीं माननीय सदस्य ने मोशन रखा था, फिर स्वामी ाी के बारे में भी इन्हीं ने प्रस्ताव रखा था, मेरे बारे में भी यही प्रस्ताव लाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने ही ठेका ले रखा है जब भी ऐसा मोशन आये तो वही लायेंगे।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस में कोई हर्ज नहीं है। मैं आप से बतलाना चाहता हूं और श्री मुकर्जी की इन्फार्मेशन के लिए भी . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोंदय अगर आप उचित समझ तो मैं एक मिनट में कुछ कहं। मेरा जो विचार है, अगर आप आजादें तो ही मैं कहंगा।

श्रध्यक्ष महोदय : में किसी को रोकता नहीं लेकिन मेरा यह मतलब है कि जो यह कहे कि मैं कार्रवाई नहीं चलने दुंगा उस पर अगर कोई एक्शन न लिया जा सके, यह हाउस न ले सके, तो मझे कोई एतराज नहीं . . .

श्री मध लिमय : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता ह . . .

श्रध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं हो सकता, मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को बलया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ग्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर ग्राप निर्णय लेने जा रहे हैं हैं स्रीर यह बहत गम्भीर प्रश्न है स्रगर इस में निर्णय करने में भ्रौर कोध या श्रावेश से काम लिया जायेगा तो बहुत सम्भव है कि कुछ गलत परम्पराम्नों का श्रीगणेश हो जाय। मेरा भ्रनुमान यह है कि जब डा० लोहिया ने इस बात को यहाँ उठाया था तो स्राप उनसे शायद यह कहना चाहते थे कि पहले जो पेपर्स टेबल पर ले होने थे वे हो जायें उसके बाद ग्राप उनको ग्रपनी बात कहने का ग्रवसर वेंगे। जहांतक मैं समझ पाया . . . (Interruptions) ग्राप क्यों बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से कह रहा है।

श्राष्यक्ष महोदय: ग्राप कहें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मेरा ग्रपना अनुमान इसी प्रकार का है कि अगर संसद-कार्य मन्त्री भी सदन में होते या प्रधान मन्त्री यहां होते तो ऐसी स्थिति न होती । साढे तीन बजे जो प्राइवेट मेम्बस बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसके सामने यह प्रस्ताव है। बहुत सम्भव है कि वह कमेटी इस बात को स्वीकार कर लेती कि इस प्रस्ताव को

प्राथमिकता दे दी जाये. ग्रौर प्रायोरिटी देने के बाद जो तीन दिन ग्रधिवेशन के लेख हैं उनमें इस प्रस्ताव को रख लिया जाय। लेकिन इसके लिये समाधान हो सकता था डा॰ राम मनोहर लोहिया की बात सुन लेने के बाद। पर ग्रीर बात बीच में ही होने से यह बात यों सदन में नहीं ग्राई। मेरा निवेदन यह है कि आप डा॰ लोहिया की बात पूरी तरह से सून ले ग्रौर इाप्रवेट मेम्बर्स विजिनेस एड-वाइजरी कमेटी को कोई निर्णय कर लेने दें. तब ग्राप इस पर कोई निर्णय दें।

श्रध्यक्ष महोदय: तो क्या इस बक्त कार-वाई बन्द कर दें। आप क्या चाहते हैं कि हम इस वक्त हाउस को एडजर्न कर दें। स्राप की क्या इच्छा है।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: बाकी कारवाई चलती रहे।

म्रध्यक्ष महोदय : डा॰ तो कहते हैं कि वह कार्रवाई चलने नहीं देंगे ग्रौर ग्राप कहते हैं कि चलती रहे। (Interruptions) ग्रब ग्राप बैठ जाइये। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया :-महोदय . . .

Mr. Speaker: There is one No-Confidence motion. If notice of it is given that must get priority and immediately a decision has to be taken when it is to be discussed within a specified period. There is another which is only a censure for a particular act. There is no other provision except that it is to be enumerated in the category of 'No-Date-Yet-Named' motion. It has recently happened England also. There was a motion against Mr. Wilson. That has not been discussed. He has not allowed time for that. What my duty or responsibility is, that should be distinguished from the one that the Government has. I have only to see whether prima facie it is to be admitted or rejected. That everyone knows and I made it

[Mr. Speaker]

clear that I have admitted it. Then, it is for the Government to find time for all these motions. We have a sub-committee that goes into these things and according to the information of Mr. Prakash Vir Shastri that is meeting today at 3-30 P.M. It might give priority or might not give priority, I do not know. Even after it has given the priority, what the reaction of the Government might be, that also I cannot say. But where do I come into the picture that the proceedings of the Will not allow the House to proceed?

What I said was that if he had written to me I would have replied to hun. The hon. Members of this House-they might be of his Partydid approach me and I tried to explain to them the whole position. I told them that he might go and attend the meeting of the sub-committee; it might be possible to persuade them to give priority to this resolution. That was the only course. But now when a Member stands up and says that he will not allow the proceedings to be conducted inside the House, there is the end of democracy. Nobody can function here. These two things must be distinguished from each What we have here is the attitude of the Member and that is, he openly says he will not allow any proceedings to take place inside the House. Whether he can have other remedy that the Government should do something is a different thing altogether. I might give him every support. That is also possible. But that cannot be said in this manner. When he flouts the authority of the Speaker and determinedly asserts that he will not allow any work to be conducted here unless his motion is taken first, how can that be allowed? The hon. Minister

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Mr. Speaker, Sir....(Interruption).

श्री मधु लिमये : सदर साहब, मिनिस्टर साहब को सुनने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं . . .

श्राध्यक्ष महोदय : ग्राडंर, ग्राडंर । मैंने मिनिस्टर साहब को बुला लिया है ।

Shri Nanda: Sir, you have put the position very clearly. Nothing more is to be added to it. But I would like to emphasize this aspect. The issues are very clear and distinct. If there is a grievance on the part of a Member, there are ways to have the matter dealth with. The other day, the Minister for Parliamentary Affairs had stated the position that there was a motion and the question of fixing a date was going to be considered. Whatever the position is.....

श्रो राम सेवक यादव: उन्होंने मान लिया था, वचन दिया था...

श्रध्यक्ष महोदय : ब्रार्डर, ब्रार्डर । ब्रब माननीय सदस्य सुनें ।

Shri Nanda: Whether any more urgent business is going to be dealt with, whether a place could be given to it today or tomorrow or day after, are the things which are to be discussed separately. This question of the conduct of the proceedings inside the House is an issue to be considered separately. May I submit that this has been going on too far. You have very kindly given the utmost consideration to the Members and enough latitude is being permitted. I think it is trespassing the tolerance of the House and vourself. I think the motion should be proceeded with.

Mr. Speaker: The question is:

"That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended.....

डा० राम मनोहर लोहिया: ग्रध्यक्ष महोदय, जिसके खिलाफ़ ग्राप कार्यवाही करने जा रहे हैं क्या उसे उस बारे में एक बात कहने का भी मौका नहीं देंगे ? Mr. Speaker: Now! the question is:

'That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

Those in favour may say, 'Aye'.

Several Hon. Members: Aye.

Mr. Speaker: Those against may say,

some Hon. Members: No.

Mr. Speaker The 'Ayes' have it ...

Shri Nath Pai: In view of what Mr. Prekash Vir Shastri has said just now—I do not know what Dr. Lohia is intending to do—I think the proper course would be....(Interruptions).

श्री नाथ पाई : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कभी कार्यवाही में ग्रकारण दखल नहीं तेता लेकिन...

ग्रध्यक्ष महोदय: ग्रगर वे यह कहना चाहते हैं कि मैं ग्रौर ग्रधिक सब कर सकता था तो मुझे मालूम नहीं।

श्री नाथ पाई : जी श्रापने काफ़ी सब किया है लेकिन बस एक ही शब्द सुनिये...

ग्रप्यक्ष महोदय ः ग्रापने खुद कहाथा भौर डा० मुकर्जी ने भी कहाथा कि मैंने कितना सब्र किया ग्रांर किस तरीक़ से ग्रब तक टौलरेट करता गया जो कुछ भी होता रहा तो ग्रब उसके बाद ग्रगर मैं मोशन पुट करता हू तो उसमें बेजा क्या है ?

श्रो नाथ पाई: उन्होंने यह नहीं कहा. (Interruption). I have a way out. We may proceed to the next business. (Interruption). Why not?

Mr. Speaker: How can I when he will not allow it?

The question is:

"That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of session."

डा० राम मनोहर लोहिया : इसे ऐसा न पास करवाइये । इस पर ग्राप बटन दबाइये।

Mr. Speaker: Let the Lobbies be cleared.

The Lok Sabha divided:

Shri Basumatari (Goalpara): I wanted to to vote for 'Ayes'.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded): I wanted to vote for 'Ayes'.

Mr. Speaker: These observations would be recorded.

Division No. 10

AYES

[12.50 hrs.

Abdul Rashid, Bakshi Achuthan, Shri Alagesan, Shri Alva, Shri A. S. Aney, Dr. M. S. Ankineedu, Shri Anthony, Shri Frank Babunath Singh, Shri Bal Krishna Singh, Shri Balmiki, Shri Barman Shri P. C. Barrow, Shri Barupal, Shri P. L. Basumatari, Shri Bhagat, Shri B. R. Bhagvati, Shri Bhattacharyya, Shri C. K. Bheel, Shri P. H. Bist, Shri J. B. S. Boroosh, Shri P. C. Brij Raj Singh-Kotah, Shri Chandak, Shri Chandrabhan Singh, Shri Chandriki, Shri Chaturvedi, Shri S.N. Chaudhuri, Shrimati Kamala Daljit Singh, Shri Das, Dr. M. M. Das, Shri B. K. Desai, Shri Morarii Dighe, Shri Dinesh Singh, Shri Coren, Shri Kasinatha Dubey, Shri R. G. Dwivedi, Shri M. L. Ering, Shri D. Gaekwad, Shri Fatehsinhrao Ganapati Ram, Shri Gandhi, Shri V. B. Gupta, Shri Shiv Charan Hansda, Shri Subodh Harvani, Shri Ansar Hazarika, Shri J. N.

Hem Raj, Shri Himetsingka, Shri Himmatsinhji, Shri Igbal Singh, Shri Jadhav, Shri M. L. Jadhav, Shri Tulshidas agjivan Ram, Shri Jain, Shri A. P. Jamir, Shri S. C. Jamunadevi Shrimati Jyotishi, Shri J. P. Kamble, Shri Kanungo, Shri Kappen, Shri Kapur Singh, Shri Kedaria, Shri C. M. Keishing, Shri Rishang Khadilkar, Shri Khanna, Shri Mehr Chand Kohor, Shri Kotoki, Shri Liladhar

nialgi, Shri H. V.

Kripa Shankar, Shri

Krishna, Shri M. R.

Kureel, Shri B. N.

Lalit Sen, Shri

Mahananda, Shri

Lonikar, Shri

Mahatab, Shri

Majithia, Shri

Mantri, Shri

Malaichami, Shri

Maruthiah, Shri

Masani, Shri M. R.

Matcharaju, Shri

Mehta, Shri Jashvant

Mirza, Shri Bakar Ali

Mishra, Shri Bibhuti

Mohsin, Shri

Morarka, Shri

Nanda, Shri

Oza, Shri

More, Shri K. L.

Munzni, Shri David

Naskar, Shri P. S.

Niranjan Lal, Shri

Pande, Shri K. N.

Pandey, Shri R. S.

Panna Lal, Shri

Pant, Shri K. C.

Parmasivan, Shri

Patel, Shri Chhotubhai

Patel, Shri Man Sinh P.

Mengi, Shri Gopal Dutt

Misra, Shri Shvam Dhar

Mohanty, Shri Gokulananda

Mukeriee, Shrimati Sharda

Molhotra, Shri Inder J.

Krishnamachari, Shri T. T.

Lakshmikantahamma, Shrimati

Mahida, Shri Narendra Singh

AYES-Contd.

Patel, Shri P. R. Patel, Shri Rajeshwar Patil, Shri S. B. Patnaik Shri B. C. Pallai, Shri Nataraja Raghuramaiah, Shri Rai, Shrimati Sahodrabai Raj Bahadur, Shri Raja, Shri C. R. Raideo Singh, Shri Raju, D. Raju, Shri D. B. Ram, Shri T. Ram Sewak, Shri Ram Subhag Singh, Dr. Ram Swarup, Shri Ramanathan Chettiar, Shri Ramaswamy, Shri S. V. Ramdhani Das, Shri Rane, Shri Ranga, Shri Ranga Rao, Shri Rao, Shri Jaganatha Rao, Shri Krishnamurthy Rao, Shri Rajagpoala Rao, Shri Ramapathi Rawandale, Shri Reddy, Shrimati Yashoda Roy. Shri Bishwanath Sana, Dr. S. K. Sahu Shri Rameshwar Samenta, Shri S. C. Saraf, Shri Sham Lal Satyabhama Devi, Shrimati Sen, Shri P. G. Shakuntgala Devi, Shrimat i Sharma, Shri A. P. Sharma, Shri K. C. Shashi Ranjan, Shri Sheo Narain, Shri

Shree Narayan Das, Sh Shukle, Shri Vidya Charan Shyamkumari Devi, Shrimati Siddenanjappa, Shri Sidheshwar Prasad, Shri Singh, Shri D. N. Singh, Shri K. K. Singha, Shri Y. N. Sinha, Shrimati Tarkeshwari Sinhasan Singh, Shri Sonavane, Shri Subbaraman, Shri Subramanyam, Shri C. Subrananyam, Shri T. Sumat Prasad, Shri Surendra Pal Singh, Shri Swaran Singh, Shri Thomas, Shri A. M. Tiwary, Shri D. N. Tiwary, Shri K. N. Tiwary, Shri R. S. Tombi, Shri Uikey, Shri Upadhyaya, Shri Shiva Dutt Vaishya, Shri M. B. Valvi, Shri Varma, Shri Ravindra Veerappa, Shri Venkatasubbaiah, Shri P. Vidyalankar, Shri A. N. Vijaya Raje, Shrimati Virbhadra, Singh Shri Wadiwa, Shri Wasnik, Shri Balkrishna

NOES

Alvares, Shri
Bagri, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Barus, Shri Hem
Basumatari, Shri
Be rwa, Shri Onkar Lal
Bhattucharya, Shri Dinen
Biren Dutta, Shri
Brij Raj Singh, Shri
Dwivedy, Shri Surendranath
Gupta, Shri Kashi Ram
Jha, Shri Yogendra

Aves:

Kachhavaiya, Shri Hukam Chand Kekkar, Shri Geuri Shankar Kunhan, Shri P. Limaye, Shri Madhu Lohiya, Dr. Ram Manohar Maþato, Shri Bhajhari Nambiar, Shri Nath Pai, Shri Pattnayak, Shri Kishen Pottekkat, Shri Roy, Dr. Saradish Shastri, Shri Prakash Vi Shinkre, Shri M. P.
Singh, Shri A. P.
Singh, Shri, Y. D.
Swamy, Shri M. V.
Swamy, Shri Sivamurthi
Venkaiah, Shri Kolla
Yadav, Sh ri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

Yadava, Shri B. Pa

Mr. Speaker: The result of the division is as follows:

179:

Noes: 32

The motion was adopted.

(Dr. Ram Manohar Lohia left the House.)

5931

श्री रामसेवक यादव : सरकार द्वारा दिये गए वचन की अवहेलना पर यह काम बहुत ही निन्दनीय है और जनतन्त्र के घोर विरोध में है। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में हम सब वाक ग्राउट करते हैं।

(Shri Ram Sewak Yadav left the House)

श्री किशन पटनायक (सम्बलपूर) : यह लोक सभा की लानत है, लानत।

(Shri Kishen Pattnayak left the House)

Mr. Speaker: Now, Papers to be laid on the Table.

श्री मध् लिमये : ग्रध्यक्ष महोदय . . .

श्रध्यक्ष महोदय: ग्रब ग्राप ग्रीर विघ्न न डालिए । ग्रगर ग्राप जाना चाहते हैं, तो जाडये ।

श्री मध लिमये : हम जा रहे हैं। श्रध्यक्ष महोदयः वह श्राप की मर्ज़ी है। मैं श्राप को रोक नहीं सकता।

श्री मधु लिमये : मैं इतना ही कहना चाहता हं कि वचन भंग हो गया है यहां। (Shri Madhu Limaye left the House)

Mr. Speaker: Now, Papers to be Laid on the Table.

12.52 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF INDIAN DELEGATION 10 48TH Session of ILO

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): On behalf of Shri Sanjivayya, I beg to lay on the Table a copy of Report of the Indian Delegation to the 48th Session of the International Labour Conference held at Geneva from 17th June to July, 1964. [Placed in Library. No. LT-3679/64].

PUBLIC DEBT (SECOND AMENDMENT) RULES

5932

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy of the Public Debt (Second Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. GSR, 1614 dated the 7th November, 1964, under sub-section (3) of section 28 of the Public Debt Act. 1944. [Placed in Library. See No. LT-3680/64].

REPORT OF TEA FINANCE COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy of Report of the Tea Finance Committee. [Placed in Library, See No. LT-3681/ 64].

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COM-MODITIES ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S Raju): On behalf of Shri D. R. Chavan, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under subsection (6) of section 3 of the Essential Commodities Atc. 1955:-

- (i) The Madras Coarse Grains (Export Control) Order, 1964, published in Notification No. GSR, 1741 dated the 7th December. 1964.
- (ii) GSR. 1742 dated the 7th December, 1964, rescinding the Rajasthan Gram and Gram Products (Removal of Control) 1953, published in Notification No. SRO 278 dated the 5th Feb-1953 and the Coarse Grains (Removal of Control) Order, 1954, published in Notification No. SRO 55 dated the 1st January, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3682/64].

NOTIFICATION UNDER EXTRADITION

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. GSR. 1739 dated the 1st December, 1964, under section 35 of the Excadition Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-3683/